


## प्रेस विज्ञप्ति

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु नामित पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30.01.2017 से दिनांक 02.02.2017 तक राजकीय इण्टर कालेज एवं संत एन्थोनी इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कतिपय पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारी अनुपस्थित थे। अनुपस्थित अधिकारियों को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 07.02.2017 को 10.00 बजे से हादी हाल, प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, इसके पश्चात भी अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिये जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़, (फोन नं० 05342-220691) में सम्पर्क करें।

  
(रामसिंह वर्मा)

मुख्य राजस्व अधिकारी /  
प्रभारी अधिकारी कार्मिक,  
✓ प्रतापगढ़।


### कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।

पत्रांक 3०९ / विधान सभा निर्वाचन-2017 / 2016-17

दिनांक- 02 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
2. मुख्य विकास अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व प्रतापगढ़ को इस आशय से कि उक्त प्रशिक्षण तिथि एवं स्थल पर ई0वी0एम0 मास्टर ट्रेनर एवं सामान्य मास्टर ट्रेनर को उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य राजस्व अधिकारी / अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक, प्रतापगढ़।
5. सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक यथा:-जिला विकास अधिकारी / जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) प्रतापगढ़।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रतापगढ़ को इस आशय से कि निर्वाचन कार्यालय से प्रोजेक्टर प्राप्त कर प्रशिक्षण स्थल पर लगवाना सुनिश्चित करें, साथ ही ई0वी0एम0 मशीन भी उपलब्ध करायें।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु हादीहाल प्रतापगढ़ में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
8. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय से कि इस प्रेस विज्ञप्ति को आज ही प्रचलित समाचार पत्रों में अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्रकाशित करायें।



मुख्य राजस्व अधिकारी /  
प्रभारी अधिकारी कार्मिक,  
✓ प्रतापगढ़।